

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आजा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 94 /2019


दिनांक : 5.10.2019

श्रीमती हिमांकनी गौड़ (RJ0345), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भीलवाड़ा को दिनांक 09.10.2019 से 24.10.2019 तक 16 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह (RJ0408), विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, भीलवाड़ा को श्रीमती हिमांकनी गौड़ के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भीलवाड़ा के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
- (2) श्री चन्द्र प्रकाश सिंह (RJ0408), जिनको अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भीलवाड़ा के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आजा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/50/2000/ 9390

दिनांक 05.10.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 10299 दिनांक 03.10.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती हिमांकनी गौड़ (RJ0345), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भीलवाड़ा।
4. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), भीलवाड़ा।
5. श्री चन्द्र प्रकाश सिंह (RJ0408), विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, भीलवाड़ा।
6. विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, भीलवाड़ा।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


5.10.2019
सहायक रजिस्ट्रार